

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा/माध्य/संस्था/बी-2/45002/प्रधाना./स्था./2019 दिनांक 29.09.2019 द्वारा सुमित्रा कस्वां, प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय लम्बोर बडी, राजगढ़, जिला चूरु का स्थानान्तरण राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जनाना, भादरा जिला हनुमानगढ़ किया गया था जिसके विरुद्ध सुमित्रा कस्वां द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में एस.बी. सिविल याचिका संख्या 15587/2019 सुमित्रा कस्वां बनाम राजस्थान राज्य व अन्य दायर की गई।

याचिका संख्या 15587/2019 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 17.10.2019 द्वारा याचिकार्थी श्रीमती सुमित्रा कस्वां को अपनी व्यक्तिगत कठिनाईयों के सम्बन्ध में प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी के समक्ष अपना अभ्यावेदन पेश करने और प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा उपर्युक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे विधि अनुसार माननीय न्यायालय द्वारा एस. बी. सिविल याचिका संख्या 15035/2019 विमला सोनी बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में प्रदत्त निर्देशों के अनुसरण में 10 दिवस के भीतर एक सकारण आख्यात्मक आदेश (REASONED SPEAKING ORDER) प्रसारित करते हुए निस्तारित करने सम्बन्धी आदेश प्रदान किये गए।

माननीय न्यायालय निर्णय के क्रम में याचिकार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन में स्वयं के विधवा होने, हृदय सम्बन्धी रूग्णता, विकट पारिवारिक परिस्थितियों, एवं इकलौते पुत्र की देखभाल करने में होने वाली परेशानियों को मद्देनजर रखते हुए अपना स्थानान्तरण आदेश दिनांक 29.09.2019 को निरस्त कर यथावत पदस्थापित रखे जाने अथवा दिनांक 1 नवम्बर, 2019 को रिक्त होने वाले प्रधानाचार्य के पद राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बघेला में पदस्थापित किये जाने की मांग की गई।

याचिकार्थी के अभ्यावेदन का माननीय न्यायालय द्वारा श्रीमती विमला सोनी बनाम सरकार में पारित निर्णय एवं राज्य सरकार व विभाग के दिशा-निर्देशों/नियमों/परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण किया गया एवं उनकी मांग पर विचार किया गया। याचिकार्थी के विधवा होने, उनकी प्रतिकूल पारिवारिक परिस्थितियों एवं व्यक्तिगत कठिनाईयों को मद्देनजर रखते हुए स्थानान्तरण आदेश दिनांक 29.09.2019 को याचिकार्थी सुमित्रा कस्वां की हद तक एतद् द्वारा प्रत्याहरित किया जाता है। सुमित्रा कस्वां को निर्देशित किया जाता है कि वे उक्त आदेश की अनुपालना में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय लम्बोर बडी, राजगढ़, जिला चूरु में प्रधानाचार्य के पद पर दिनांक 27.10.2019 तक आवश्यक रूप से कार्यग्रहण करें अन्यथा उनके विरुद्ध राजस्थान असैनिक सेवाएं (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम-17 के अन्तर्गत कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लायी जावेगी। सम्बन्धित सूचित हों।




(नथमल डिडेल)

आई.ए.एस

निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक: शिविरा-मा./संस्था/बी-2/एसबीसिया/सुमित्रा कस्वां/15587/2019 दिनांक 23-10-2019
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, बीकानेर/चूरु संभाग, बीकानेर/चूरु।
4. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, चूरु/हनुमानगढ़।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक, चूरु/हनुमानगढ़।
6. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, भादरा जिला हनुमानगढ़ को निर्देशित किया जाता है कि वे आदेश की पालना तत्काल सुनिश्चित करावें।
7. जिला शिक्षा अधिकारी (विधि) माध्यमिक, जोधपुर।
8. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
9. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
10. सुमित्रा कस्वां, प्रधानाचार्य को आदेश की पालनार्थ।
11. निजी/रक्षित पत्रावली।



संयुक्त निदेशक(कार्मिक)